Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-36/2025-26]
Punam Devi & Ors.....Appellants.
Versus
Md. Kalim.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.5.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-46/2024-25 में दिनांक-02.6.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	बेलाचंद सुखिया/ 22/1	356	323	03 डी.
			323	05 डी.

दिनांक 22.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा-41.5 डी.) खतियानी रैयत के वारिसान द्वारा उनको एग्रीमेंट किया गया। जिसके उपरान्त उनका लगातार दखल-कब्जा रहा है। उनका कहना है कि उनके द्वारा विपक्षी के खरीदगी जमीन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। तथा यह कि विपक्षी के द्वारा उनके जमीन के मापी हेतु दायर भू-मापी वाद सं.-12/2024-25 लंबित है। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी के द्वारा उनके साथ मार-पीट की गई, जिसके कारण उनके द्वारा विपक्षी एवं अन्य के विरूद्ध बनमनखी थाना में कांड सं.-380/2022 दायर किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का क्रय उनके द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-9429 दिनांक-19.9.2022 के माध्यम से खतियानी रैयत के पुत्रों से किया गया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन के मापी हेतु उनके द्वारा अंचल कार्यालय, बनमनखी में भू-मापी वाद सं.-12/2024-25 दायर किया गया, किन्तु निर्धारित तिथि को अपीलार्थी द्वारा विरोध करने के कारण उक्त मापी कार्य का संचालन नहीं हो सका। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय में भी अपीलार्थी के स्तर से प्रश्नगत जमीन पर उनके दावे के संबंध में कोई वैध कागजात/साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया था। विपक्षी के द्वारा तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

04.5.2026

सहित अन्य जमीन का खतियान गुलाब चन्द भगत एवं अन्य के नाम से दर्ज है। कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि विपक्षी के द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-9429 दिनांक-19.9.2022 के माध्यम से खतियानी रैयत के पुत्रों से प्रश्नगत खेसरा से कुल 62 डी. 200 वर्गकड़ी का क्रय किया गया। तथा यह कि नामान्तरण वाद सं.-6642/2023-24 के द्वारा उनके नाम से उनकी खरीदगी जमीन का नामान्तरण हुआ एवं वर्ष 2023-24 तक का भू-लगान भुगतान किया गया है। अपीलार्थी के स्तर से प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा-41 डी. 500 वर्गकड़ी) के संदर्भ में सिर्फ एग्रीमेंट का कागजात (दिनांक-29.9.2022) उपस्थापित किया गया है। तथा यह कि उनके पक्ष में किसी प्रकार का विक्रय-पत्र से संबंधित कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। कागजातों में संदर्भित अंचल कार्यालय, बनमनखी के भू-मापी अभिलेख सं.-12/2024-25 के आदेश दिनांक-05.7.2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत जमीन के मापी की तिथि को अपीलार्थी के स्तर से विरोध एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई एवं जमीन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया गया। जिसके कारण मापी की कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से प्रश्नगत जमीन पर किये जा रहे अपने दावे के संदर्भ में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। जिससे प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा विधिमान्य नहीं माना जा सकता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Raje K.
04/5/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

Raje K.
04/5/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया